

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष नं.:0141-2711978, 2711938

क्रमांक :प.141/नि.अ.मा.वि./रा. छात्रा. संचा./2021-22/ 3782


जयपुर, दिनांक: 28/06/2022

कार्यालय आदेश

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, अलवर, जयपुर एवं जोधपुर की दिनांक 15.05.2022 के पश्चात संचालन अवधि बढ़ाने की सहमति एवं व्यय को 1500/- प्रति विद्यार्थी प्रति माह की सीमा में रखते हुए उपलब्ध बजट प्रावधान से व्यय किये जाने की सहमति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	छात्रावास का स्थान	छात्रावास का प्रकार	विद्यार्थियों की संख्या	बढ़ायी गयी समयावधि
1	अलवर (जिला मुख्यालय)	बालिका	56	दिनांक 31.07.2022 अथवा
2	जयपुर (जिला मुख्यालय)	बालिका	25	विद्यार्थियों की परीक्षा पूर्ण होने
3	जोधपुर (जिला मुख्यालय)	बालिका	24	तक (जो भी पहले हो तक)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 162200904 दिनांक 16.06.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

क्रमांक :प.141/नि.अ.मा.वि./रा. छात्रा. संचा./2021-22/ 3783 - 89

जयपुर, दिनांक: 28/06/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अलवर, जयपुर, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाशाखा, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, कार्यालय हाजा।
7. सहायक प्रोग्रामर को विभागीय बेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


(मंजू)
अतिरिक्त निदेशक